पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं की उपयुक्तता, उपलब्धता एवं उपभोग के सन्दर्भ में अभिव्यक्त अभिमतों का अध्ययन

दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय) दयालबाग,
आगरा से पी. एच. डी. (शिक्षा) की उपाधि हेतु प्रस्तुत
शोध प्रबन्ध की रुपरेखा

शोध निर्देशक — शोधार्थिनी

प्रो. एम. के. गौतम — **विजय लक्ष्मी व्यास**

पैडागोजीकल साइंस विभाग, शिक्षा संकाय
दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय)
दयालबाग आगरा-282005

2022

1.1 प्रस्तावना

समाज का मुख्य आधार मनुष्य है, मनुष्य को शिक्षा के माध्यम से उसकी अन्तर्निहित शक्तियों का ज्ञान होता है। शिक्षा के माध्यम से मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास होता है। शिक्षा जीवन को व्यावसायिक धरातल प्रदान करती है। व्यक्ति की उन्नति का प्रसंग आते ही देश में सदियो से उपेक्षित एवं शोषित जातियों की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक है जिसने जाति भेद की समस्या को जन्म दिया है।

जातिभेद की समस्या का आरम्भ वैदिक कालीन समाज व्यवस्था से प्रारम्भ होता है। वर्ण व्यवस्था का नाम आते ही वेदो, पुराणो, उपनिषदो और स्मृतियों में अंकित सीमित अधिकारो की ओर ध्यान आकर्षित होता है क्योंकि मानव की समस्त स्वाभाविक शक्तियो का पूर्ण प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। शिक्षा के गौरव पूर्ण इतिहास पर दृष्टिपात करें तो ज्ञात होता है कि भारतीय शिक्षा का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। इसकी प्राचीनता एवं विद्धता का प्रमाण हमे मनुस्मृति से ज्ञात होता है।

मनुस्मृति के अन्तर्गत शूद्रो (अनुसूचितजाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जातियों एवं महिलाओं) को सीमित अधिकार प्रदान किये गये थे, जिनमें कर्तव्य अधिक थे और अधिकार कम थे। इस वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था, लेकिन धीरे-धीरे इससे वर्ग और जाति की स्थापना वंश के आधार पर होने लगी और यही से शोषण प्रवृत्ति का जन्म हुआ।

फलस्वरूप समाज के कमजोर वर्ग, आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से कमजोर होते चले गये और ब्राह्मण वर्ग ने पिछड़ी जातियों एवं महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित कर दिया।

1.1.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

प्राचीन भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही शिक्षा के माध्यम से मनुष्य का सर्वागींण विकास किया जाता था। वैदिक काल से वर्तमान काल तक भारतीय समाज का सर्वाधिक प्रमुख आधार वर्ण व्यवस्था ही रही है। इस वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत समाज को 4 वर्गों में बाँटा गया-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। सभी वर्गों के अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्धारण समाज की सभी आवश्यकताओं को व्यवस्थित रूप से पूरा करने वाला बनाया गया।चतुर्थ वर्ग में विभाजित जाति व्यवस्था में शूद्रों को जो शिक्षा दी जा रही थी, वह नाम मात्र की होती थी। पिछड़े हुये वर्गों की आर्थिक स्थिति दयनीय थी। भारत वर्ष में

जाति ही व्यक्ति के कार्य, स्तर, प्राप्त अवसरो तथा प्रतिद्विन्द्वता को भी निश्चित करती थी। जातीय अन्तर घरेलू तथा सामाजिक जीवन को प्रभावित करते थे। भूमि स्वामित्व तथा प्रशासनिक कार्य प्रायः जातीय आधार पर निश्चित होता था। जाति संकुचित धर्मों एवं व्यक्तियों की धर्म निरपेक्ष संस्कृति के प्रतिमानों को निश्चित करती थी। उच्च वर्ग के मनुष्य निम्न वर्ग के मनुष्यों पर अनाधिकार, चेष्टा करके आदिवासी, हरिजन, बन्धक, श्रमिक तथा अन्य पिछड़े वर्ग को शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर निषेध जीवनयापन करने पर बाध्य करते थे। इनकी संतानों को प्रायः वही व्यवसाय करने को दिया जाता था, जो कि उनकी वंश परम्परा के अनुकूल होता था। इस प्रकार प्राचीन काल में निम्न जाति पर आवश्यकता से अधिक अत्याचार किये गये।

वैदिक काल में माने गये अन्य पिछड़ी जातियों के पूर्वजो को अन्धकार में रखा गया मुस्लिम तथा विदेशी सत्ताओं ने भी पिछड़े वर्गों की अज्ञानता, दुर्दशा और हीनता से प्रोत्साहित होकर अनेक मानवीय यातनाये देकर इस वर्ग का शोषण किया जिसके फलस्वरूप इस वर्ग के लोग आज भी अनेक समस्याओं से ग्रसित है।

1.1.2 पिछड़ी जातियों की शिक्षा के लिये विभिन्न समाज सेवियो द्वारा किये गये प्रयास

पिछड़ी जातियों के व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में देश की अन्य सामान्य जातियों की तुलना मे काफी पीछे है। ये भारत के शिक्षाविदो एवं शैक्षिक विकास से सम्बद्ध सभी व्यक्तियो के सम्मुख एक जटिल एवं गम्भीर समस्या है क्योंकि अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के पिछड़ेपन के कई कारण है जिनमें आर्थिक, कारणो के साथ-साथ जातिय भेदभाव तथा अस्पृश्यता जैसे अनेक सामाजिक कारण भी है।

अन्य पिछड़े वर्ग के शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिये अनेक प्रयास किये गये जिनमें प्रमुख रूप से सन्त कबीर दास, सन्त रविदास, गुरू नानक, महात्मा ज्योतिराव फूले, रामस्वामी पैरियार, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरू, महात्मा गाँधी, डॉ. भीमराव अम्बेडकर, काशीराम, मायावती आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने (1951) में अपनी पुस्तक "जातिविच्छेद" में जाति भेद भाव एवं हिन्दू धर्म पर एक गम्भीर विवेचन प्रस्तुत किया जो कभी भुलाया नहीं जा सकता जिसके माध्यम से पिछड़ी जातियों के लोगों में एक नवीन चेतना का विकास हुआ।

1.1.3 पिछड़ी जातियों की शिक्षा व्यवस्था

पिछड़ी जातियों की शिक्षा के लिये अनेक समाजसेवियों ने अनेक प्रयास किये लेकिन उन्हं पर्याप्त सफलता नहीं मिली, जिसका मुख्य कारण जातिभेद था। जातिभेद के कारण पिछड़ी जातियों को शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर दबाये रखा गया तथा अत्यधिक अत्याचार करके प्रताड़ित किया गया, जिससे इस जाति के लोग ऊँचे न उठ सकें, जिसके उदाहरण वेदो, पुराणो, उपनिषदों, स्मृतियो आदि धार्मिक ग्रन्थो में उल्लेखित है।

अंग्रेजी शासन स्थापित होने पर इस जाति वर्ग की शिक्षा के प्रति विदेशी शासकों का ध्यान अवश्य गया, उन्होंने प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयो में साथ बैठकर शिक्षा के प्रवेश में खुली छूट दे दी, परन्तु सामान्य जाति वर्ग के बालको के साथ पिछड़ी जातियों के छात्र बैठकर शिक्षा गृहण करने का साहस नहीं कर सकते थे। परिणाम स्वरूप इस वर्ग मे शिक्षा का प्रवेश नहीं हो सका। स्वतन्त्रता संग्राम का नेतृत्व जब गाँधी जी के हाथ में आया तो उत्तर प्रदेश की जनता ने उसमें बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। गाँधी जी ने अस्पृश्यता को हिन्दू समाज का कोढ़ घोषित किया तथा इस वर्ग के प्रति सहानुभूति रखने पर विशेष बल दिया। परिणामस्वरूप गाँधी जी के साथ अनेक समाज सेवी संस्थाओं ने रात्री के समय गाँव में जाकर इस वर्ग के व्यक्तियो को अक्षर ज्ञान कराने लगे और यही से इस जाति वर्ग की शिक्षा का शुभारम्भ माना गया है।

अन्य पिछड़े वर्गकी शिक्षा में परिवर्तन उस समय आया जब देश आजाद हुआ और राष्ट्र निर्माताओं ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया। सदियों से चली आ रही वर्ण व्यवस्था मे सबसे निकृष्ट समझी जाने वाली इन जातियों के उत्थान के लिये संविधान में विशेष प्रावधान किये, जिससे इस जाति वर्ग के लोगों को किसी भी प्रकार से हीन न समझा जाये। इसके लिये संविधान में कुछ विशेष अनुच्छेदो का प्रावधान किया गया यद्यपि संविधान को लागू हुये 75 वर्ष पूरे हो चुके है फिर भी इस जाति वर्ग के लोगों का शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास उतना नही हो पाया है। जितना कि संविधान लागू होते समय कल्पना की गयी थी, क्योंकि आज भी समाज में काफी रूढ़ियाँ देखने को मिलती है और इस जाति

वर्ग के लोगो को हेय दृष्टि से देखा जाता है। 1979 में जनता पार्टी की सरकार ने मण्डल आयोग का गठन किया, इस आयोग का प्रमुख कार्य क्षेत्र सामाजिक एवं आर्थिक रुप से पिछड़े वर्गो की पहचान करना था। इस आयोग के अध्यक्ष श्री विन्देश्वरी प्रसाद मण्डल को बनाया गया। मण्डल आयोग ने विभिन्न धर्मो, जातियों और पन्थों के आधार पर 3743 पिछड़ी जातियों की पहचान की। जो देष की कुल जनसंख्या का 44 प्रतिशत था। जो सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक मापदण्डों के आधार पर शैक्षिक पिछड़ापन और आर्थिक बराबरी के लिये नहीं था। संविधान में घोषित करते हुये 27 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला दिया था। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये 22.5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था थी। सर्वोच्च न्यायालय ने 50 प्रतिशत अधिकतम आरक्षण का फैसला लिया था। इस मुद्दे को विपक्षियों ने निम्नतम् स्तर के आधार पर खण्डित किया-

1. जाति के आधार पर कोटा आवन्टन नक्सली भेदभाव का एक रुप है, और समानता का अधिकार के विपरीत है। हालांकि जाति और दौड़ के मध्य सटीक रिश्ता दूर से अच्छी तरह से स्थापित है।
2. कानून बनाने की प्रक्रिया (Legistating) सभी सरकारी शिक्षा संस्थानों में ईसाई और मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यकों से शुरु होगा के लिये आरक्षण प्रदान करने का एक परिणाम के रुप में अनुच्छेद (1) जो कि धर्म निरपेक्षता के विचारों के विपरीत हैं और विरोधी धर्म के आधार पर भेदभाव का एक रुप है।

हालांकि मण्डल आयोग की रिपोर्ट 1980 में पूरी हो चुकी थी। लेकिन यह रिपोर्ट लागू नहीं हो पायी थी। 1989 में जनता दल की सरकार बनी और तात्कालीन भारत के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 13 अगस्त 1990 को विन्देश्वरीरी प्रसाद मण्डल की रिपोर्ट को लागू करने के अपने इरादे की घोषणा की जिससे सम्पूर्ण देश में व्यापक छात्र विरोध हुआ। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अस्थायी प्रवास आदेश प्रदान किया। 16 नवम्बर 1992 को सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण एक लाख रुपये की वार्षिक आय की आर्थिक सीमा के अन्दर लागू किया। जो 2015 में बढ़ाकर आठ लाख रुपये प्रतिवर्ष की आय सीमा की गई।

मण्डल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 में उच्च शिक्षा में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये सीट आरक्षित की। मण्डल आयोग की प्रमुख सिफारिशों में-

1. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में 22.5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसके मददनजर रखते हुये अन्य पिछड़े वर्गो को तकनीकि और व्यावसायिक संस्थानों में 27 फीसदी आरक्षण की सुविधा दी गयी है।

2. समाज की मुख्य धारा से पीछे छूटी हुई आबादी को सांस्कृतिक उन्नयन के लिये पिछड़े वर्गो की सघन आबादी वाले इलाकों में शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये। इसमें व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिये। तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों में आरक्षण कोटे से आये छात्रों के लिये कोचिंग की व्यवस्था की जाये।

3. ग्रामीण कामगारों के कौषल को बढ़ावा देने के लिये विषेष योजनाओं को चलाकर उन्हें रियायती दरों पर ऋण की सुविधा मुहैया करायी जाये। औद्योगिक और व्यावसायिक कारोबार में पिछड़े वर्गो की भागीदारी बढ़ाने के लिये केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय एवं तकनीकी संस्थानों पर नेटवर्क विकसित किये जाये।

4. मण्डल आयोग ने कहा था कि इस समाज का पिछड़ा वर्ग अपनी गुजर बसर कर रहा है और यह वर्ग धनी किसानों के ऊपर निर्भर है। क्योंकि इस वर्ग के पास खेती के लिये बड़े भूखण्ड नहीं है। इस लिये देश भर में क्रान्तिकारी भूमि सुधार लागू करने की आवष्कता को भी अनुभव किया।

5. पिछड़े वर्गो के लिये कल्याणकारी कार्यक्रम चलाने के लिये संस्थानों को केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता को भी अनुभव किया।

उपरोक्त सिफारिशों के अतिरिक्त मण्डल आयोग ने पिछड़ी जातियों के निर्धारण के लिये सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक मानकों के आधार पर 11 सूचकांक तय किये थे। जो सामाजिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति और आर्थिक स्थिति पर आधारित है-

सामाजिक स्थिति-

1. वैसी जातियाँ या वर्ग जिन्हें अन्य पिछड़े वर्गो द्वारा सामाजिक रुप से पिछड़ा समझा जाता है।

2. वैसी जाति या वर्ग जो आजीविका के लिये प्रमुख रुप से शारीरिक श्रम पर निर्भर है।

3. वैसी जातियाँ या तवका जिसमें 17 साल से कम आयु वर्ग की महिलाओं का विवाह दर ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य की औसत जनसंख्या का 25 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 10 प्रतिशत से अधिक है और इसी आयु वर्ग में पुरुषों का विवाह दर ग्रामीण क्षेत्रों में 10 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 5 प्रतिशत से अधिक है।

शैक्षिक आधार-

1. वैसी जाति या वर्ग जिसमें 5 से 15 साल की आयु वर्ग में विद्यालय नहीं जाने वाले बालकों की संख्या राज्य के औसत से कम 25 प्रतिशत से अधिक है।
2. इसी आयु वर्ग में जिन जातियों या वर्ग के बच्चों के विद्यालय छोड़ने का प्रतिशत राज्य के औसत से 25 प्रतिषत से कम है।
3. वैसी जाति या वर्ग जिनमें हाईस्कूल षिक्षा व माध्यमिक षिक्षा पास करने वाले छात्र-छात्राओं का प्रतिशत राज्य औसत से कम है।

आर्थिक आधार-

1. वैसी जाति या वर्ग जिनमें औसत पारिवारिक सम्पत्ति मूल्य राज्य औसत से 25 प्रतिशत से कम है।
2. वैसी जाति या वर्ग जिनमें कच्चे घरों में निवास करने वालों की जनसंख्या राज्य औसत से कम से कम 25 प्रतिशत से कम है।
3. वैसी जाति या वर्ग जो ऐसे इलाकों में रह रही उस जाति या वर्ग जिनमें 50 प्रतिशत परिवारों को पेयजल के लिये आधा या एक किलोमीटर से दूर जाना पड़ता हैं।

उपरोक्त 11 सूचकांकों को ध्यान में रखते हुये 1992 में मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया। जिसके आधार पर अन्य पिछड़े वर्गो को सरकारी नौकरियों और सरकारी शैक्षिक संस्थानों में प्रवेष देने का निष्चय सर्वोच्च न्यायालय के आदेष के अनुरुप किया गया है।

वर्ष 1990-91 डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जन्म शताब्दी वर्ष था। प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय समिति (1991) ने निर्णय लिया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के विकास हेतु अनेक कार्यक्रम

चलाये जाये। जिससे पिछड़ी जाति के लोगों में शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक चेतना का विकास किया जाये। इस समिति ने विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत डॉ. भीमराव अम्बेडकर के जीवनदर्शन तथा अनेक दलित समाज सेवियों के जीवन दर्शन पर चर्चाये सेमिनार तथा निबन्ध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें शिक्षाशास्त्रियो, समाजषास्त्रियों तथा राजनीतिज्ञो ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा पिछड़ी जातियों की शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति पर चिन्ता व्यक्त की तथा यह भी व्यक्त किया कि इस जाति वर्ग का जितना विकास होना चाहिये था उतना विकास नहीं हो पाया है।

पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं की षैक्षिक योग्यता बढ़ाने के लिये वर्ष 1987-88 में अनेक योजनाएँ लागू की गई वे अभी केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा क्रियान्वित तो की जा रही है, किन्तु अभी भी इन विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन सक्रियता के साथ नहीं किया जा रहा है। अनेक शिक्षाविदों, समाजशास्त्रियों के लिये यह चिन्ता का विषय है कि अभी भी इन जातियों के लिये बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जिससे इस जाति वर्ग के लोग सामान्य जाति वर्ग के बराबर आ सके। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग आयोग की छठवी रिपोर्ट (1999-2001) में भी इस बात को स्वीकार किया गया कि इन पिछड़ी जातियों के लिये केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा केन्द्र शासित प्रदेश में इन पिछड़ी जातियों के शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिये जो योजनाएँ चलायी जा रही है वे योजनाये अभी भी पूर्ण रूप से ईमानदारी के साथ लागू नहीं की गयी और इन पिछड़ी जातियों के लिये बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सारणी संख्या 1.1 में भारत के विभिन्न राज्यों में पिछड़ी जाति के लोगों की स्थिति को प्रदशित किया गया है।

संरक्षण और विकास के लिये जो विशेष प्रावधान किये गये है, उनका ईमानदारी के साथ पालन नहीं किया जा रहा है। इसी सन्दर्भ में विभिन्न आयोग ने विभिन्न सिफारिश केन्द्र सरकार को प्रेषित की है जिन पर गम्भीरता के साथ अमल किये जाने की आवश्यकता है।

1.1.4 पिछड़ी जाति की जनसंख्या-

2011 के सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 44 प्रतिशत पिछड़ी जातियों की जनसंख्या के लोग जीवनयापन कर रहे है। पिछड़ी जातियों के शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण अस्पृश्यता की पुरानी प्रथा है। जिसके कारण

इस जाति वर्ग के लोग सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक अवसरो से वंचित रहे है आज भी इस वर्ग को निम्न शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक दर्जा मिला हुआ है। भारत में यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाये तो जनसंख्या का एक बड़ा भाग पिछड़ी जाति का 44 प्रतिशत है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 102.68 करोड़ थी। वर्ष 2020 में भारत की जनसंख्या 1380004385 है। भौगोलिक दृष्टि से पिछड़ी जातियाँ देश के प्रत्येक राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में पायी जाती है।

सारणी संख्या 1.1 तथा 1.2 में भारतीय जनगणना रिपोर्ट 2011 के आधार पर विभिन्न राज्यो एवं केन्द्र शासित प्रदेशो में कुल जनसंख्या पिछड़ी जातियों को प्रस्तुत किया गया है-

सारणी 1 भारत के राज्यों में कुल जनसंख्या पिछड़ी जातियों की जनसंख्या एवं उनका प्रतिशत.

क्रम	राज्य	क्ल जनसंख्या	पिछड़ी जातियों की जनसंख्या	पिछड़ी जातियों का प्रतिशत
1	आन्ध्र प्रदेश	84580777	42628711	50-4
2	अरूणाचल प्रदेश	1383727	38744	2-8
3	असम	3120576	7895010	25-3-
4	बिहार	104099452	65166256	62-6
5	छत्तीसगढ़	25545198	11623065	45-5
6	दिल्ली	16787941	3273648	19-5
7	गोवा	1458545	261079	17-9
8	गुजरात	60439692	24296756	40-2
9	हरियाणा	25351462	7174463	28-3
10	हिमाचल प्रदेश	6864602	1173846	17-1
11	जम्मूकश्मीर	12541302	1429708	11-4
12	झारखण्ड	32988134	15438446	46-8
13	कर्नाटक	61095297	33907889	55-5
14	कैरल	33406061	21814157	65-3
15	मध्य प्रदेश	72626809	30140125	41-5
16	महाराष्ट्र	112374333	37982524	33-8
17	मणिपुर	2721756	1434365	52-7
18	मेघालय	2966889	17555	1-2
19	मिजोरम	1097206	3957	1-6
20	नागालैण्ड	1978502	4466677	0-2
21	पंजाब	27743338	7941022	16-1
22	पश्चिमी बंगाल	91276115	32423410	47-3

23	राजस्थान	68548437	308951	8-7
24	सिक्किम	610577	54903889	50-6
25	तमिलनाडु	72147030	606196	76-1
26	त्रिपुरा	3673917	13935440	16-5
27	उड़ीसा	41974218	108879725	33-2
28	उत्तर प्रदेश	199812341	1845791	54-5
29	उत्तराखण्ड	10086292	1845791	18-3

भारत 2020 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।

सारणी 2 भारत के केन्द्रशासित प्रदेशों की कुल जनसंख्या तथा अन्य पिछड़े वर्ग की जनसंख्या एवं प्रतिशत

क्रम सं	केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	कुल जनसंख्या	पिछड़ी जातियों की जनसंख्या	पिछड़ी जाति का प्रतिशत
1	अण्डमान निकोबार	380581	68885	18-1
2	चण्डीगढ़	1055450	234309	22-2
3	दादर नगर हवेली	343709	14779	4-3
4	दमन दीप	243247	92190	37-9
5	लक्ष्यदीप	64473	451	0-7
6	पांडिचेरी	1247953	962171	77-1
	भारत	1380004385		44-0

भारत 2020 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

उपरोक्त सारणी 1 अवलोकन से स्पष्ट है कि भारत वर्ष में कुल (1380004385) जनसंख्या है। जिसमें उत्तर प्रदेश में (18.46 करोड़) पिछड़ी जाति की जनसंख्या है। राज्यों की जनसंख्या मे अन्य पिछड़ी जाति के प्रतिशत की दृष्टि से तमिलनाडु (76.1 प्रतिशत राज्य का प्रथम स्थान है। इसके बाद क्रमशः केरल (65.3 प्रतिशत दूसरे स्थान पर और असम (62.6 प्रतिशत तीसरा स्थान पर, कर्नाटक (55.5 प्रतिशत चोथे स्थान पर जबकि उत्तर प्रदेश (54.5 प्रतिशत पांचवें स्थान पर है। इसलिए तमिलनाडु, केरल, असम, कर्नाटक, तथा उत्तर प्रदेश इन पांच राज्यो में ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। सारणी 2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि केन्द्र शासित प्रदेश मे पाण्डिचेरी 77.1 प्रतिशत प्रथम स्थान पर है।

1.1.5 पिछड़ी जातियों की साक्षरता

पिछड़ी जातियों की साक्षरता को सामान्य वर्ग की साक्षरता की श्रेणी में लाने के लिये केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारो तथा स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, जिसके माध्यम से पिछड़ी जातियों की साक्षरता का प्रतिशत सामान्य वर्ग की साक्षरता के बराबर लाया जा सके। इसलिये केन्द्र एवं राज्य सरकारों की सहायता से अनेक केन्द्र

खोले गये हैं जैसे-प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, आँगनवाड़ी केन्द्र, बालवाड़ी केन्द्र आदिं अनेक क्षेत्रों में खोले गये है, जो स्वयं सेवी संस्थाये इस प्रकार के कार्यक्रमो में अपना योगदान दे रही है, उन्हें केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त धनराशि प्रदान की जा रही है फिर भी पिछड़ी जाति की साक्षरता दर सही अनुपात मे नहीं पा रहा है। जैसा कि सारणी संख्या 3 तथा 4 में प्रदर्शित किया गया है-

सारणी 3 देश के विभिन्न राज्यो मे पिछड़ी जातियों की कुल साक्षरता दर का प्रतिशत

क्रम सं	राज्य	कुल जनसंख्या	कुल साक्षरता दर
1	आन्ध्र प्रदेश	84580777	67-66
2	अरूणाचल प्रदेश	1383727	66-95
3	असम	3120576	73-18
4	बिहार	104099452	63-82
5	छत्तीसगढ़	25545198	71-04
6	दिल्ली	16787941	86-34
7	गोवा	1458545	87-40
8	गुजरात	60439692	79-31
9	हरियाणा	25351462	76-64
10	हिमाचल प्रदेश	6864602	83-78
11	जम्मूकश्मीर	12541302	68-74
12	झारखण्ड	32988134	67-63
13	कर्नाटक	61095297	75-60
14	केरल	33406061	93-91
15	मध्य प्रदेश	72626809	70-63
16	महाराष्ट्र	112374333	82-91
17	मणिपुर	2721756	79-85
18	मेघालय	2966889	75-48
19	मिजोरम	1097206	91-58
20	नागालैण्ड	1978502	80-11
21	पंजाब	27743338	76-68
22	पश्चिमी बंगाल	91276115	77-08
23	राजस्थान	68548437	67-06
24	सिक्किम	610577	82-20
25	तमिलनाडु	72147030	80-33
26	त्रिपुरा	3673917	87-75
27	उड़ीसा	41974218	73-45
28	उत्तर प्रदेश	199812341	69-72
29	उत्तराखण्ड	10086292	79-63

भारत 2020 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

सारणी 4 केन्द्रशासित प्रदेश मे पिछड़ी जातियों का कुल साक्षरता दर का प्रतिशत

क्रम सं	केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	कुल जनसंख्या	कुल साक्षरता दर
1	अण्डमान निकोबार	380581	86-27
2	चण्ड़ीगढ़	1055450	86-43
3	दादर नगर हवेली	343709	77-65
4	दमन दीप	243247	87-07
5	लक्ष्यदीप	64473	92-28
6	पांडिचेरी	1247953	86-55
	भारत	1380004385	

भारत 2020 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

सारणी 3 तथा 4 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा अनेक प्रयास किये जाने के बावजूद भी कुछ राज्यो में साक्षरता का प्रतिशत सामान्य वर्ग की तुलना में नहीं आ पाया है। विभिन्न राज्यो एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के आँकड़ो से स्पष्ट होता है कि अभी भी पिछड़ी जातियों की साक्षरता को सामान्य जातियों की श्रेणी मे लाने के लिए बहुत कुछ किया जाना आवश्यक है, जिससे इस जाति वर्ग के साक्षरता प्रतिशत को ऊँचा उठाया जा सके।

1.1.6 भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के अन्तर्गत पिछड़ी जातियों के लिये किये गये विशेष प्रावधान

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् जब भारत का संविधान बनाने का कार्य संविधान की निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेडकर को सौंपा गया, तो उनके द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये विशेष के रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए संविधान में अनेक राजनीतिक अधिकारों एवं व्यवस्थाओं के साथ-साथ समाज में व्याप्त अस्पृश्यता को दूर करने के लिये व्यवस्थायें की गयीं। जैसे-आर्थिक एवं धार्मिक समस्याओं, सामाजिक अन्याय तथा समस्त प्रकार के शोषण से उनके संरक्षण की बात की गयी है। जैसा कि भारतीय संविधान में पिछड़ी जाति के लिये विशेष अनुच्छेदो से स्पष्ट होता है-

1.1.6.1 अनुच्छेद (15) धर्म, मूलवंश, जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध

राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान से किसी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

(1) कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर-

(क) दुकानो, सार्वजनिक स्कूलो, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानो मे प्रवेश या।

(ख) पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुँओं, तालाबो, स्नान घाटो, सड़को और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग यहाँ से पैरा बदलने के सम्बन्ध में किसी भी नियोग्यता, दायित्व, निवर्धन तथा शर्त के अधीन नहीं होगा।

(2) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य की महिलाओं और बालकोें के लिये विशेष उपबध करने से निवारित करेगा।

(3) इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद (ख) के खण्ड (2) की कोई बात राज्य की सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुये नागरिकों के किन्हीं वर्ग की उन्नति के लिये या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिये कोई विशेष उपलब्ध करने से निवारित नहीं कर सकेगा।

1.1.6.2 अनुच्छेद (16) के खण्ड (4) लोक नियोजन के विषय के अवसर पर समानता

इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़ी जातियों के नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबन्ध करने से निवारित नहीं कर सकेगा।

1.1.6.3 अनुच्छेद (17) अस्पृश्यता का अन्त

इस अनुच्छेद के द्वारा "अस्पृश्यता" का अन्त किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दण्डनीय किया गया है।

1.1.6.4 अनुच्छेद (19) वाक स्वतन्त्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण

अनुच्छेद 19(1) सभी नागरिकों को -

(क) वाक स्वतन्त्रता और अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता का,

(ख) शान्तिपूर्वक और निरायुद्ध सम्मेलन का,

(ग) संगम या संघ बनाने का

(घ) भारत के राज्य क्षेत्र सर्वत्र अबाध संरक्षण का

(ङ) भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र के भाग में निवास करने और बस जाने का और संविधान (44 वाँ संशोधन) अधिनिम, 1976 की धारा 2 द्वारा 20.06.1979 से उप-खण्ड (ब) का लोप किया गया।

(च) कोई जीविका वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार दिया गया है।

1.1.6.5 अनुच्छेद (23) मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिनिषेध

अनुच्छेद 23(1) मानव का दुर्व्यवहार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबन्ध का कोई भी उल्लघंन अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दण्डनीय किया गया है।

1.1.6.6 अनुच्छेद (25) अन्तःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतन्त्रता

अनुच्छेद 25(1) लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अन्तःकरण की स्वतन्त्रता का ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार दिया गया है।

1.1.6.7 अनुच्छेद (29) अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण

(1) अनुच्छेद 29(1) भारत के राज्य या क्षेत्र या किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाये रखने का अधिकार दिया गया है।

(2) अनुच्छेद 29(2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है।

1.1.6.8 अनुच्छेद (46) अनुसूचिज जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियां की शिक्षा और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि

राज्य आम जनता के दुर्बल वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग की शिक्षा तथा आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक न्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा।

1.1.6.9 अनुच्छेद (164) मंत्रियों के बारे में अन्य उपबन्ध

अनुच्छेद 164(1) बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गा के कल्याण का भार साधक एक मन्त्री होगा, जो साथ ही अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का या किसी अन्य कार्य का भी भार साधक होगा।

1.1.6.10 अनुच्छेद (330) लोक सभा में अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो तथा अन्य पिछड़ेवर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण।

(1) अनुच्छेद 330 (1) लोक सभा में

(क) अनुसूचित जाति के लिए

(ख) अनुसूचित जनजातियों के लिए

(ग) अन्य पिछड़ी जातियोें के लिये

1. असम के जनजाति के क्षेत्र
2. नागालैण्ड
3. मेघालय
4. अरुणाचल प्रदेश और
5. मिजोरम की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के और

(घ) असम की स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रखे गये हैं।

(2) खण्ड (1) के अधीन किसी राज्य या संघ क्षेत्र में अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियो के लिए आरक्षित स्थानो की संख्या का अनुपात, लोकसभा में उस राज्य या संघ शासित क्षेत्र को आबंटित स्थानों की कुल संख्या के अनुपात में वही होगा, जो यथास्थिति उस राज्य या संघ शासित क्षेत्र की या उस राज्य की भाग को अनुसूचित जातियों की, जिनके सम्बन्ध में स्थान इस प्रकार आरक्षित है, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य या संघ शासित क्षेत्र या राज्य की कुल जनसंख्या में निर्धारित की गयी है।

1.1.6.11 अनुच्छेद (232) राज्यो की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछ़डेवर्ग के लिए स्थानो का आरक्षण

(1) इन अनुच्छेद के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए और (असम जनजाति क्षेत्रों, नागालैण्ड, मेघालय की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर) अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रखे जाने का प्रावधान किया गया है।

(2) असम राज्य की विधान सभाओं, स्वशासी जिलों के लिए भी स्थान आरक्षित रखे गये हैं।

(3) खण्ड (1) के अधीन किसी राज्य की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस राज्य की विधान सभाओं के स्थानों की कुल संख्या से वही अनुपात होगा, जो यथास्थिति उस राज्य की अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य की या उस भाग की अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछ़डे वर्ग को जिनके सम्बन्ध में स्थान इस प्रकार आरक्षित है, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य या संघ शासित क्षेत्र की कुल जनसंख्या से निर्धारित की गयी है।

(4) असम राज्य की विधान सभा किसी स्वशासी जिले के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या से कम नहीं होगा, जो उस जिले की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है।

1.1.6.12 अनुच्छेद (334) चालीस वर्ष के पश्चात् स्थानों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व

इस व्यवस्था से पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुये लोक सभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों के लिये आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था की गयी है।

1.1.6.13 अनुच्छेद (335) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों की सेवाओं और पदों के लिये दावे

भारत संघ या किसी राज्य के क्रिया-कलापों से सम्बन्धित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियाँ करने में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ेवर्ग के सदस्यों के दावों की प्रशासनिक दक्षता बनाये रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा गया है।

1.6.6.14 अनुच्छेद (338) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ेवर्ग के लिए विशेष अधिकार

(1) भारत का राष्ट्रपति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ेवर्ग के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा।

(2) विशेष अधिकारी का कर्त्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ेवर्ग के लिए उपबन्धित रक्षापायों से सम्बन्धित सभी विषयों का अन्वेषण करे और इन रक्षापायों के कार्य कारण के सम्बन्ध में ऐसे अन्तरालों पर, जो राष्ट्रपति निर्देशित करे, राष्ट्रपति रिपोर्ट दे और राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद में प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा।

(3) इस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ेवर्ग के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जायेगा कि इसके अन्तर्गत ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति निर्देश, जिनको राष्ट्रपति अनुच्छेद (340) के खण्ड (i) के अधीन नियुक्ति आयोग की रिपोर्ट की प्रति पर आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे और इसमें आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रति निर्देश भी दे आदि का प्रावधान किया गया है।

1.1.6.15 अनुच्छेद (340) अन्य पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित आयोग

(i) भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति भारतीय क्षेत्र के अन्य पिछड़े वर्ग की सामाजिक एवं शैक्षिक स्थिति की जॉच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आयोग नियुक्त किये जाने के आदेश दे सकते है।

(ii) जिससें कि उनकी कार्यक्षेत्र की कठिनाईयों को सुधारने के लिए कदम उठाये जाने हेतु सुझाव दे सकें।

1.1.7 भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के उन्नयन के लिए किये विशेष संशोधन

भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के उन्नयन के लिए अनेक संशोधन भारतीय संविधान में किये गये हैं।ये संशोधन निम्नांकित हैं-

संविधान (पहला) संशोधन अधिनियम 10 मई 1951, संविधान (8वाँ) संशोधन अधिनियम, 1960 संविधान (23वाँ) संशोधन अधिनियम, 1969, संविधान (45वाँ) संशोधन अधिनियम, 1980, संविधान (51वाँ) संशोधन अधिनियम, 1984, संविधान (57वाँ) संधोधन अधिनियम, 1987, संविधान (62वाँ) संशोधन अधिनियम, 1989, संविधान (65वाँ) संशोधन अधिनियम, 1990, संविधान (72वाँ) संशोधन अधिनियम, 1992, संविधान (73वाँ) संशोधन अधिनियम, 1993, संविधान (76वाँ) संशोधन अधिनियम, 1994, संविधान (77वाँ) संशोधन अधिनियम, 1995,संविधान (79वाँ) संशोधन अधिनियम, 1999, संविधान (81वाँ) संशोधन अधिनियम, 2000, संविधान (82वाँ) संशोधन अधिनियम, 2000, संविधान (83वाँ) संशोधन अधिनियम, 2000, संविधान (84वाँ) संशोधन अधिनियम, 2001, संविधान (85वाँ) संशोधन अधिनियम, 2001, संविधान (89वाँ) संशोधन अधिनियम, 2003, संविधान (90वाँ) संशोधन अधिनियम, 2003, संविधान (93वाँ) संशोधन अधिनियम, 20 जनवरी 2006, संविधान (102वाँ) संशोधन अधिनियम संविधान (104वाँ) संशोधन अधिनियम (2020) आदि प्रमुख है।

1.1.8 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए "विशेष प्रकोष्ठ" (स्पेशल सेल)

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण से सम्बन्धित समिति की 42वीं रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों के अनुपालन में जनवरी, 1977 में इस विशेष प्रकोष्ठ" (स्पेशल सेल) की स्थापना की गई है। यह प्रकोष्ठ महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश और नियुक्तियों में आरक्षण से सम्बन्धित नीति की समीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। यह प्रकोष्ठ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग के आयुक्त और संसद सदस्यों को आरक्षण के सम्बन्ध में सूचना भेजने के लिए एक सम्पर्क एकक के रूप में कार्य करता है। इसके साथ-साथ महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग के अध्यापक, कर्मचारियों से प्राप्त अभ्यावेदनों की भी इस प्रकोष्ठ द्वारा जाँच की जाती है और उन्हें आवश्यकतानुसार सम्बन्धित पदाधिकारियों के साथ उठाया जाता है, जिससे उनका समाधान खोजा जा सके तथा उनके प्रति कानूनन कार्यवाही भी की जा सके।

1.1.9 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 कार्यपरक योजना 1992 एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अन्य पिछड़े वर्ग के उन्नयन के लिए सोचे गये उपाय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और 1986 एवं कार्यपरक योजना 1992 एवं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अन्य पिछड़े वर्ग के उन्नयन के लिए अनेक उपाय सोचे गये हैं, जिससे इन जातियों के लोग शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर सामान्य जातियों के लोगों के बराबर आ सकें। यह बराबरी सभी क्षेत्रों एवं सभी स्तरों में इन चार आयामों के अन्तर्गत होनी आवश्यक है-(1) शहरी क्षेत्रों के पुरुष, (2) शहरी क्षेत्रों की महिलाओं, (3) ग्रामीण क्षेत्रों के पुरुषों (4) ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में। इन्हीं मकसद के तहत् राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और 1986, कार्यपरक योजना 1992 एवं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित उपाय सोचे गये हैं-

(i) निर्धन परिवार को इस प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाये, कि वे अपने बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक नियमित रूप से स्कूल भेज सकें।

(ii) सफाई कार्य, पशुओं की चमड़ी उतारने तथा चर्म शोधन जैसे व्यवसायों में लगे परिवारों के बच्चे के लिए मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना पहली कक्षा से शुरू की जायेगी। ऐसे परिवार की आय पर ध्यान दिये बिना, उनके साथी बच्चों को इस योजना में शामिल किया जायेगा ताकि उनके लिए समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किये जाने के प्रस्ताव पास किये गये हैं।

(iii) ऐसी सुनिश्चित व्यवस्थायें करना और जाँच पड़ताल की विधि स्थापित करना कि जिससे पता चलता रहे कि अनुसूचित जातियों के बच्चों के नामांकन होने, नियमित रूप से अध्ययन जारी रखने और पढ़ाई पूरी करने की प्रक्रिया में कहीं गिरावट तो नहीं आ रही है, साथ ही इन बच्चों की आगे की शिक्षा और रोजगार पाने की सम्भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से उनके लिये उपचारात्मक पाठ्यचर्या की व्यवस्था करने का भी कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है।

(iv) अन्य पिछड़े वर्ग के शिक्षकों की नियुक्ति पर विशेष ध्यान दिया जाना भी स्वीकार किया गया है।

(v) जिला केन्द्रों पर अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिये छात्रावासों की सुविधायें क्रमिक रूप से बढ़ाये जाने को भी स्वीकार किया गया है।

(vi) विद्यालय भवनों, बाल-वाडियों और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का स्थान चुनते समय अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना स्वीकार किया गया है।

(vii) अन्य पिछड़े वर्ग की शिक्षा प्रक्रिया में समावेश बढ़ाने हेतु लगातार नये तरीकों की खोज करना भी स्वीकार किया गया है।

1.1.10 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के उन्नयन से सम्बन्धित विभिन्न योजनायें

भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के उन्नयन के लिए अनेक योजनायें बनायी गयी है, जिससे अन्य पिछड़े वर्ग की शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाओं में सुधार किया जा सके और अनुसूचित जाति के साक्षरता प्रतिशत को उचित अनुपात में लाया जा सके ताकि प्रत्येक स्तर पर समानता का दर्जा दिया जा सके।

1.1.10.1 केन्द्र सरकार की योजनायें

केन्द्र सरकार द्वारा शिक्षा के विभिन्न स्तरों प्राथमिक, उच्च माध्यमिक एवं विश्वविद्यालयी स्तर पर अनेक योजनायें बनायी है, जिससे शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर अपव्यय एवं अवरोधन की स्थिति उत्पन्न न हो सके तथा प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से इसका पालन किया जा सके। ये योजनायें निम्नलिखिरत रूप में तैयार की गयी हैं-

(क) अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लियें इंजीनियरिंग कॉलेजों, मेडीकल कॉलेजों, तकनीकी संस्थाओं, सैनिक स्कूलों सहित प्रत्येक शैक्षिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश सुनिश्चित करना।

(ख) प्रवेश पाने के लिए अन्य पिछड़े वर्गके विद्यार्थियों को आयु सीमा तथा अंकों में छूट देना।

(i) प्रत्येक शैक्षिक पाठ्यक्रमों में 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के लिए सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करना।

(ii) प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले अन्य पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के लिए अंकों के अपेक्षित न्यूनतम प्रतिशत जाति का आरक्षित कोटा करने के लिए आयु सीमा में आगे और रियायत देना।

(iii) उच्च शिक्षा क्षेत्र में अन्य पिछड़े वर्गके विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्य हेतु अनेक अनुसन्धान छात्रवृत्तियों एवं अध्येतावृत्तियों का प्रावधान किया गया हैं।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्य कर रहे विद्यार्थियों के लिए 287 अवर अनुसन्धान अध्येतावृत्ति सुनिश्चित की गयी है।

(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अन्य पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के लिये 50 अवर एवं 20 वरिष्ठ अनुसन्धान अध्येतावृत्ति (रिसर्च ऐसोसियेटशिप) सुनिश्चित की गयी है।

(ii) अन्य पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के लिए वरिष्ठ अनुसन्धान अध्येतावृत्ति (10 फैलोशिप) का 10 प्रतिशत और 20 अनुसन्धान अध्येतावृत्ति (रिसर्च ऐसोसियेटशिप) आरक्षित रखी गयी है।

(iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सीमान्त पहाड़ी क्षेत्रो की अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 25 स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ आरक्षित की गयी है।

(iv) अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को 6 छात्रवृत्ति अथवा संख्या के आधार पर 10 प्रतिशत अनुसन्धान अध्येतावृत्ति आरक्षित की गयी है।

(v) अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए संस्कृति, पाली, प्रकृति विज्ञान, अधमगधी, अरबी, पारसी में स्नातकोत्तर स्तर पर 4 छात्रवृत्तियाँ अथवा संख्या के आधार पर 10 प्रतिशत अनुसन्धान अध्येतावृत्ति आरक्षित की गयी है।

(vi) अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिये एल.एल.एम. पाठ्यक्रम के लिए 5 छात्रवृत्तियाँ अथवा संख्या के आधार पर 10 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ आरक्षित की गयी हैं।

1.1.10.2 उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाये

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी केन्द्र सरकार के अनुरूप ही अन्य पिछड़े वर्ग के शैक्षिक उन्नयन के लिये अनेक योजनायें तैयार की गयी हैं, जिनका क्रियान्वयन एवं प्रशासन शिक्षा विभाग एवं समाज कल्याण विभाग के माध्यम से किया जाता है। ये योजनायें निम्नलिखित रूप में तैयार की गयी है-

(i) अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न स्तरों पर छात्रवृत्तियों (बजीफा) के लिए पृथक से बजट तैयार करने की व्यवस्था की गयी है।

(ii) अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकें, उपकरण, वर्दियों (यूनीफॉर्म) और खेलकूद के सामान की व्यवस्था करना।

(iii) सामान्य छात्रावासों में अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिये आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।

(iv) गैर-सरकारी छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए सुविधायें प्रदान करना तथा किराये पर आवास के लिए वितीय सहायता देने की व्यवस्था भी की गयी हैं।

(v) शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण तथा परीक्षा शुल्क की पूर्ति राजकीय कोष से करने की व्यवस्था की गयी है।

(vi) अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आगे शिक्षा जारी रखने के लिए ऋण की व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा की गयी है।

(vii) अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये आरक्षण की सुविधा राज्य में निर्धारित आरक्षित कोटे के आधार पर प्रदान करना।

(viii) अन्य पिछड़े वर्गके विद्यार्थियों के लिये व्यावसायिक दस्तकारी से सम्बन्धित कक्षायें प्रारम्भ करना।

(ix) अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिये प्रतियोगिता परीक्षाओं से पूर्व कोचिंग की व्यवस्था करना।

(x) स्वःरोजगार के लिए आधुनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की व्यवस्था करना।

1.1.11 अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के शैक्षिक उन्नयन से सम्बन्धित चलाये जा रहे कार्यक्रम

संविधान की विभिन्न धाराओं, अनुच्छेदों तथा रक्षापायों के आधार पर विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में अन्य पिछड़े वर्ग के शैक्षिक विकास के लिए विशेष बजट तथा कार्यक्रमों का प्रावधान किया गया है। इनमें कुछ कार्यक्रम केन्द्र सरकार, कुछ कार्यक्रम राज्य सरकारें तथा कुछ कार्यक्रम स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे हैं। जिनको निम्नांकित रूप में प्रस्तुत किया गया है-

1.1.11.1 विद्यालयी एवं विश्वविद्यालय स्तर पर केन्द्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रम

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाली संस्थाओं-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद (ICSSR) तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के लिए अनेक सुविधाओं का प्रावधान किया गया है-

(i) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करना।

(ii) महिला छात्रावासों की व्यवस्था करना।

(iii) पुरुष छात्रावासों की व्यवस्था करना।

(iv) बुक बैंक की व्यवस्था करना।

(v) परीक्षाओं तथा रोजगार प्राप्ति पूर्व कोचिंग की व्यवस्था करना।

(vi) राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति सहायता प्रदान करना।

(vii) शैक्षिक संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण करना।

(viii) स्वैच्छिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता देना।

1.1.11.2 विद्यालयी एवं विश्वविद्यालय स्तर पर राज्य सरकारों द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न षैक्षिक कार्यक्रम

देश के विभिन्न राज्यों की सरकारों के अन्तर्गत शिक्षा विभाग एवं समाज कल्याण विभाग के सक्रिय सहयोग से पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों के लिये विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। वे कार्यक्रम निम्नांकित हैं-

(i) विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर छात्रवृत्तियाँ आदि की व्यवस्था करना।

(ii) पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी, उपकरण, पोषक और खेल के सामान उपलब्ध कराना।

(iii) पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय खोलना।

(iv) पिछड़ी जाति की महिलाओं एवं पुरुषों के लिए पृथक छात्रावास खोलना।

(v) सामान्य जाति के छात्रावासों में आरक्षण सुनिश्चित करना।

(vi) सार्वजनिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बालक-बालिकाओं का सम्पूर्ण व्यय वहन करना।

(vii) शिक्षा के विभिन्न स्तरों की परीक्षाओं के लिए दिये गये परीक्षा शुल्क तथा शिक्षा व्यय की वापसी करना।

(viii) मध्यान्ह में भोजन की व्यवस्था करना।

(ix) छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिये ऋण प्रदान करना।

(x) शिक्षण तथा अध्ययन केन्द्र खोलना।

(xi) शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश की व्यवस्था करना आदि।

1.1.11.3 गैर-सरकारी/स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रम

प्रत्येक राज्य में अनेक ऐसी स्वयं सेवी संस्थायें भी हैं, जो कि अन्य पिछड़े वर्ग के शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए कार्य कर रही हैं। ऐसी संस्थाओं को केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के द्वारा प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे ये स्वैच्छिक संस्थायें अन्य पिछड़े वर्ग के बालकों के जीवन स्तर को समुन्नत बनाने की दशा में और अधिक प्रयत्नशील रहें। अन्य पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिये जो संस्थायें प्रयत्नशील है उनमें- (i) साक्षरता निकेतन, लखनऊ, (ii) बनवासी सेवा आश्रम, सोनभद्र (iii) लोक सेवा संस्थान एवं आजीवन शिक्षा परिषद, इलाहाबाद (iv) कस्तूरबा ट्रस्ट आदि संस्थायें इन जातियों के विकास में विशेष योगदान दे रही हैं। इन संस्थाओं के द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। ये कार्यक्रम निम्नांकित हैं-

(i) शिक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रम।

(ii) सहकारिता से सम्बन्धित कार्यक्रम।

(iii) ग्राम उद्योग से सम्बन्धित कार्यक्रम।

(iv) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित कार्यक्रम।

(v) आवासीय सुविधाओं से सम्बन्धित कार्यक्रम आदि।

शैक्षिक प्रक्रिया में अन्य पिछड़े वर्ग के सहभागिता को बढ़ाने की दृष्टि से नवीनतम् योजनाओं की खोज करना महत्वपूर्ण नहीं आवश्यक भी है, जिससे अन्य पिछड़े वर्ग का शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान भी हो सके। एन.सी.ई.आर.टी. की रिपोर्ट एवं प्रशिक्षण सामग्री जो कि पूर्णतः नवीनतम् (2007) के अध्ययन से स्पष्ट है कि अन्य पिछड़े वर्ग के लिये अभी भी बहुत कार्य किया जाना बाकी है, जिससे पिछड़ी जातियों के लोगों की प्रत्येक दशा में सुधार किया जाना सम्भव हो सके।

1.2 समस्या का प्रार्दुभाव

पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों की अपनी शैक्षिक, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक समस्यायें रही हैं, जिनके कारण उनकी उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो पा रही है। जिसकी प्रगति के लिये बहुत कुछ किया जाना आवश्यक है। जैसा कि विभिन्न शोध सर्वेक्षण एवं संगोष्ठियों की रिपोर्ट के अध्ययन से यह तथ्य तो स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, कि केन्द्र एवं राज्य सरकारें जो विभिन्न सुविधाऐं उन्हें प्रदान कर रही है उनका छात्रगण भली-भाँति प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तथा सम्बन्धित अभिभावक भी उनके प्रति अनभिज्ञ एवं उदासीन ही रहते है। जैसा कि पाण्डे (1987), प्रजापति (1982), वर्मा (1988), शर्मा (1984), नगोर (1991), श्रीवास्तव (1992), गुलफोर्ट (1978) ज्ञानानी (1996), गौतम (2000), श्रीवास्तव (2004), नैगी (2004), खरात (2011), पाल (2015), सिंह (2017), देवनाथ (2015), राय (2015), मधुकर (2019), एस गौतम (2020), अमित (2022) आदि जिसमें अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को प्रदान की जा रही शैक्षिक एवं आर्थिक सुविधाओं की उपयोगिता और अभिवृत्ति पर विशेष चर्चा की गयी है। शैक्षिक सुविधाओं की उपयुक्तता के सन्दर्भ में विशेष रूप से अभिभावकों एवं समाज के प्रबुद्ध वर्ग के व्यक्तियों के अभिमतों को जानने का तो प्रयास किया गया है कि छात्रों की विभिन्न स्त्रोतों से मिली सहायता धनराशि, विद्यार्थियों के अध्ययन काल में कब, कैसे व किन माध्यमों से प्राप्त होती है। विद्यार्थियों के शैक्षिक आर्थिक,

सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्तर को सुधारने में इस सहायता धनराशि ने कितनी प्रेरणा व सहायता प्रदान की है। वर्तमान धनराशि कितनी उपयुक्त है और उसमें वे क्यों संशोधन चाहते है।

कुछ शोध अध्ययनों में पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं, शैक्षिक उपलब्धि, सृजनात्मक मूल्य एवं अभिवृत्तियों का अध्ययन भी किया गया है यथा-वार्ष्णेय (1984), गौड (1987), गौतम (1990), गुप्ता (1994), सिंह (1999), सिंह (2002), शर्मा (2002) आदि के अध्ययनों से स्पष्ट है कि इसके अतिरिक्त कुछ अध्ययनों जैसा कि सिंह (2002), यादव (2003) से यह भी स्पष्ट है कि अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के अभिभावकों का दृष्टिकोण भी उन्हें शिक्षा प्रदान करने के सन्दर्भ में बहुत कुछ उपेक्षित रहा है। जिसके कारण उनका सत्त अध्ययन नहीं चल पा रहा है।

विभिन्न सर्वेक्षणों एवं संगोष्ठियों की रिपोर्ट के अध्ययन से यह तथ्य तो स्पष्ट है कि छात्रगण शासन से मिली धनराशि का उपभोग भली-भाँति प्रयोग नहीं कर पाते हैं तथा सम्बन्धित अभिभावक भी उनके प्रति अनभिज्ञ एवं उदासीन ही रहते हैं। जैसा कि पाण्डे (1987), प्रजापति (1982), वर्मा (1983), शर्मा (1984) भार्गव एवं अन्य (1989), कक्कड़ (1990), नगारे (1991), श्रीवास्तव (1992), गौतम (2000), एस गौतम (2020) एवं अमित (2022)। जिनमें इस वर्ग के छात्रों को प्रदान की जा रही शैक्षिक एवं आर्थिक सुविधाओं की उपयोगिताओं पर विशेष चर्चा की गयी है। शैक्षिक सुविधाओं की उपयुक्तता के सन्दर्भ में विशेष रूप से अभिभावकों एवं समाज के प्रबुद्ध वर्ग के व्यक्तियों के अभिमतों को जानने का प्रयास किया गया है कि छात्रों को विभिन्न स्त्रोतों से मिली सहायता, धनराशि, विद्यार्थियों के अध्ययन काल में कब, कैसे व किन माध्यमों से प्राप्त होती है। विद्यार्थियों के शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्तर को सुधारने में इस सहायता धनराशि ने कितनी प्रेरणा व सहायता प्रदान की है तथा वर्तमान सन्दर्भ में वह सहायता धनराशि कितनी उपयुक्त है और उसमें वे क्या संशोधन चाहते है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुपालन के लिये वर्ष 1979 में जनता पार्टी की सरकार ने तात्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरार जी देसाई ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री विन्देश्वरी प्रसाद मण्डल की अध्यक्षता में मण्डल आयोग का गठन किया। इस आयोग का प्रमुख उद्देष्य पिछड़ी जातियों के सामाजिक एवं शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को देना था। इस आयोग ने वर्ष 1980 में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें पिछड़ी जातियों को शैक्षिक एवं

सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिये शैक्षिक संस्थाओं में प्रदेश एवं सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिदेश आरक्षण दिये जाने की सिफादेश की थी। मण्डल आयोग की रिपोर्ट को 1989 में जनता पार्टी की सरकार ने तात्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने लागू करने का निश्चय किया। जिसका देश व्यापी विरोध हुआ। जिसके कारण उनकी सरकार चली गयी और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर इस आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुये उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में एक ऐसे अध्ययन किये जाने की आवश्यकता अनुभूति की गयी है कि अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं जो विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के विभिन्न शैक्षिक संवर्ग-कला, विज्ञान, वाणिज्य, अभियान्त्रिकी, कृषि, फार्मेसी, व्यावसायिक आदि वर्ग में अध्ययनरत् है तथा जो शहरी एवं ग्रामीण परिवेश से सम्बन्धित है। केन्द्रीय एवं राज्य सरकार विशेषकर उत्तर प्रदेश द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को जो शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक सुविधाऐं प्रदानकर रही है। शोधार्थिनी ने निम्न समस्या पर शोध अध्ययन करने की आवश्यकता अनुभूत कि विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययनरत पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को केन्द्र तथा राज्य सरकार से कौन-कौन सी शैक्षिक सुविधायें मिलती है? विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययनरत् पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शैक्षिक सुविधायें उनके लिये कितनी उपयुक्त है? विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययनरत् पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा दी जा रही शैक्षिक सुविधायें उन्हें कब और कैसे उपलब्ध हो पाती है? विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययनरत् पिछड़ी जातियों के विद्यार्थी छात्रवृत्ति की धनराशि का उपयोग किस प्रकार करते है? शैक्षिक सुविधाओं से विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययनरत् पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के ऊपर क्या कोई प्रभाव पड़ता है? अतः शोधार्थिनी ने निम्न समस्या पर शोध अध्ययन सम्पादित करने की आवश्यकता अनुभूत की।

1.3 समस्या कथन

पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं की उपयुक्तता, उपलब्धता एवं उपभोग के सन्दर्भ में अभिव्यक्त अभिमतों का अध्ययन।

1.4 समस्या में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या

1.4.1 पिछडी जाति

पिछड़ी जाति शब्द से अभिप्राय उस मानव समूह, मूल वंशों या उन जातियों से है जिन्हें भारतीय संविधान की धारा 340 में "पिछड़ी जाति" (Backword Class) कहा गया है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पिछड़ी जातियों का वर्गीकरण शासनादेश संख्या 1432/26-3-86 (1) विधान सभा 86 दिनांक 10 जुलाई 1986 के सन्दर्भ में जिन पिछड़ी जातियों को मान्यता प्रदान की गयी है, उन्हीं को पिछड़ी जातियों के विद्यार्थी माना जायेगा। 10 जुलाई 1986 के शासनादेश में पिछड़ी जाति की संख्या 66 थी। लेकिन मौजूदा समय में पिछड़ी जातियों की संख्या 162 है। जिसे 20 फरवरी 2020 शासनादेश संख्या-4/19/2016/789 (1) 64-1 विधान सत्र एवं विधान परिषद् ने पास किया, इन्हीं 162 पिछड़ी जातियों को केन्द्रीय भूत मानकर प्रस्तुत अध्ययन सम्पादित किया जायेगा।

1.4.2 विद्यार्थी

विद्यार्थी से अभिप्रायः आगरा मण्डल में स्थित डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों एवं महाविद्यालयों, दयालबाग, एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय) दयालबाग आगरा, जी.एल.ए.विश्वविद्यालय मथुरा, जे. एस. विश्वविद्यालय शिकोहाबाद, फिरोजाबाद में अध्ययनरत् स्नातक स्तर के पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं से है।

1.4.3 केन्द्र सरकार

केन्द्र सरकार से अभिप्राय है भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत संघ अनुसूची एवं समवर्ती सूची में निर्धारित किये गये विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केन्द्र सरकार को है। इन्हीं विषयों के अनुरूप केन्द्र सरकार सम्पूर्ण देश के लिये कानूनों का निर्माण करती है और उन कानूनों के तहत उस पर नियन्त्रण रखती है, से है।

1.4.4 राज्य सरकार

राज्य सरकार से आशय उत्तर प्रदेश शासन का संचालन करने वाली सरकार से है। जो सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिये राज्य सूची के अन्तर्गत निर्धारित किये गये विषयों पर कानून बनाती है उनका संचालन करती है और उस पर नियन्त्रण रखती है, से है।

1.4.5 शैक्षिक सुविधाएँ

शैक्षिक सुविधाओं से तात्पर्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत केन्द्र सरकार के मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा मन्त्रालय एवं समाज कल्याण मन्त्रालय के अधीन विभागों द्वारा पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाली शैक्षिक सुविधाओं से है। जैसे-शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु दिया जाने वाला आरक्षण, छात्रवृत्ति धनराशि, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का विवरण, छात्रावास की सुविधायें, निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था, निःशुल्क भोजन व्यवस्था, बैंक ऋण, वित्तीय आर्थिक सहायता आदि अन्य शैक्षिक सुविधाओं से है।

1.4.6 उपयुक्तता

उपयुक्तता शब्द से यहाँ अभिप्राय केन्द्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न शैक्षिक सुविधायें जैसे-शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु दिया जाने वाला आरक्षण, छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकीय सहायता, छात्रावासीय सुविधायें, निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था, निःशुल्क भोजन व्यवस्था, निःशुल्क परिधान, अन्य वित्तीय सहायता आदि प्रदान किये जाने के प्रमुख आधारों, प्रशासनिक क्रियान्वयन की प्रक्रिया तथा प्राप्त शैक्षिक सुविधाओं की उपभोक्ताओ की (छात्र-छात्राओं एवं उनके अभिभावकों) की दृष्टि में उपयुक्तता से है।

1.4.7 उपलब्धता

उपलब्धता से अभिप्राय है किसी भी वस्तु के प्राप्त होने या आत्मसात होने से है। यहाँ उपलब्धता से अभिप्राय है केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास हेतु प्रदान की जा रही शैक्षिक सुविधाओं के प्राप्त होने से है जैसे-विभिन्न प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु स्थान उपलब्ध होने, छात्रवृत्ति, छात्रावासीय सुविधा, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क कोचिंग, निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें, निःशुल्क परिधान की व्यवस्था, अन्य वित्तीय सहायता आदि शैक्षिक सुविधाओं के प्राप्त होने या उपलब्ध होने से है।

1.4.8 उपभोग

उपभोग से तात्पर्य विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उपभोग करने या विषयगत सुख उठाने से है। यहाँ उपभोग से तात्पर्य केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के शैक्षिक उन्नयन के निमित्त दी जा रही नगद छात्रवृत्ति की धनराशि एवं अन्य वित्तीय आर्थिक सहायता के रूप में मिली धनराशि से है, प्राप्त धनराशि का उपभोग वे कहाँ-कहाँ, कब और कैसे उपभोग करते है, से है।

1.4.9 अभिमत

अभिमत से अभिप्राय किसी वस्तु, कार्य व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति व्यक्त किये गये विचार, राय या मत से होता है। यहाँ अभिमत से अभिप्राय इन शैक्षिक सुविधाओं को प्रदान किये जाने, उनकी उपलब्धता एवं उन शैक्षिक सुविधाओं का उपभोग करने के सन्दर्भ में पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों द्वारा अभिव्यक्त किये गये मतों से है।

बेवस्टर शब्दकोष के अनुसार

किसी विषय या विशिष्ट वस्तु के प्रति मस्तिष्क में निर्मित विचार या निर्णय ही अभिमत कहलाते है। यहाँ अभिमतों से तात्पर्य विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययनरत् पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं के शैक्षिक उन्नयन के लिये केन्द्र एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदान की जा रही शैक्षिक सुविधाओं की उपयुक्तता, उपलब्धता एवं उपभोग के सन्दर्भ में अभिव्यक्त किये गये विचारों, राय या मतों से है।

1.5 शोध अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध अध्ययन के सन्दर्भ में प्राप्त किये जाने वाले उद्देश्यों को प्रमुख रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है जो इस प्रकार है-

1.5.1 मुख्य उद्देश्य

(1) पिछड़ी जाति के छात्रों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं का अध्ययन करना।

(2) पिछड़ी जाति के छात्रों को केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं की उपयुक्तता के सन्दर्भ में अभिव्यक्त अभिमतों का अध्ययन करना।

(3) पिछड़ी जातिके छात्रों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता के सन्दर्भ में अभिव्यक्त अभिमतों का अध्ययन करना।

(4) पिछड़ी जातिके छात्रों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं के उपभोग के सन्दर्भ में अभिव्यक्त अभिमतों का अध्ययन करना।

(5) पिछड़ी जाति के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं की उपयुक्तता, उपलब्धता एवं उपभोग के सन्दर्भ में अभिव्यक्त अभिमतों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

(6) पिछड़ी जाति के छात्रों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं की उपयुक्तता, उपलब्धता एवं उपभोग के सन्दर्भ यौन भेद के परिपेक्ष्य में अभिव्यक्त अभिमतों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

(7) पिछड़ी जाति के छात्रों को जो कि-विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न शैक्षिक संवर्गो यथा-कला, विज्ञान, वाणिज्य, अभियान्त्रिकी, फार्मेसी, व्यवसायिक, कृषि, आदि में अध्ययनरत है का केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं की उपयुक्तता, उपलब्धता एवं उपभोग के सन्दर्भ में अभिव्यक्त अभिमतों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

(8) पिछड़ी जाति के छात्रों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं के उपभोग करने से पड़ने वाले बहुपक्षीय प्रभावों का अध्ययन करना।

(9) पिछड़ी जातिके छात्रों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं की उपयुक्तता, उपलब्धता एवं उपभोग के सन्दर्भ में अभिव्यक्त अभिमतों के मध्य सह-सम्बन्धों को ज्ञात करना।

1.5.2 अध्ययन के गौण उद्देश्य

पिछड़ी जाति के विभिन्न समुदायों यादव, काछी, कुशवाह, गुर्जर, बघेल, तेली, कुर्मी, लुहार, सुनार, आदि को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं की उपयुक्तता, उपलब्धता एवं उपभोग के सन्दर्भ में अभिव्यक्त अभिमतों का अध्ययन करना।

1.6 शोध अध्ययन की परिकल्पनायें

शोध अध्ययन के उपर्युक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुये शोधार्थिनी ने शून्य परिकल्पनाओं का निर्माण एवं परीक्षण करना सुनिश्चित किया है। इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि वर्तमान भारत वर्ष को स्वतन्त्र हुये लगभग 75 वर्ष बीत चुके हैं साथ ही भारत वर्ष उत्कृष्ठ जनसंचार के माध्यमों से युक्त हो चुका है। साक्षरता की दर में पर्याप्त वृद्धि हो चुकी है अतः भारतीय समुदाय विशेष कर विद्यार्थी वर्ग अपने स्वयं के प्रति विशेष रूप से कितने जागरूक है। शोधार्थिनी का मानना है कि पिछड़ी जाति के छात्र-छात्रायें स्वयं के प्रति कितने जागरूक एवं संवेदनशील है। अतः इस जाति वर्ग के सभी प्रकार के विद्यार्थी भी पर्याप्त रूप से जागरूक होंगे। साथ ही निर्मित परिकल्पनाओं के सन्दर्भ में सांख्यिकी परीक्षण करना भी अनिवार्य होता है।

परिकल्पनाओं के परीक्षण में सही सांख्यिकीय प्रविधियों की सार्थकता, परीक्षणों का मूल आधार शून्य परिकल्पनायें ही होती है। अतः शोधार्थीनी ने अध्ययन के उद्देष्यों को ध्यान में रखकर निम्न परिकल्पनाओं का परिक्षण करने का विनिश्चियीकरण किया है-

(1) पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न शैक्षिक सुविधाओं की उपयुक्तता, उपलब्धता एवं उपभोग के सन्दर्भ में अभिव्यक्त अभिमतों में कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा।

(2) पिछड़ी जाति के छात्रों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न शैक्षिक सुविधाओं की उपयुक्तता, उपलब्धता एवं उपभोग, के सन्दर्भ में यौनभेद के परिप्रेक्ष्य में अभिव्यक्त अभिमतों में कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा।

(3) पिछड़ी जाति के छात्रों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न शैक्षिक सुविधाओं की उपयुक्तता, उपलब्धता एवं उपभोग के सन्दर्भ में (शैक्षिक सवंर्ग कला, विज्ञान, वाणिज्य, अभियान्त्रिकी, कृषि, फार्मेसी एवं व्यवसायिक आदि) के अभिव्यक्त अभिमतों में कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा।

(4) पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न शैक्षिक सुविधाओं की उपयुक्तता, उपलब्धता एवं उपभोग के सन्दर्भ में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं के अलग-अलग अभिव्यक्त अभिमतों में कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा।

(5) पिछड़ी जाति के छात्र-छात्रायें केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न शैक्षिक सुविधाओं की उपयुक्तता, उपलब्धता एवं उपभोग के सन्दर्भ में समान रूप से सजग होंगे।

(6) पिछड़ी जाति के विभिन्न समुदायों के छात्र-छात्रायें केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न शैक्षिक सुविधाओं की उपयुक्तता, उपलब्धता एवं उपभोग करने के सन्दर्भ में समान रूप से जागरूक होंगे।

1.7 शोध अध्ययन का सीमांकन

(1) प्रस्तुत शोध अध्ययन पिछड़ी जाति के लिये केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा इस जाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक सुविधाओं तक ही सीमित रखा जायेगा।

(2) न्यादर्श में उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा मण्डल में स्थित विश्वविद्यालय स्तर के कला, विज्ञान, वाणिज्य, अभियान्त्रिकी, कृषि, फार्मेसी, व्यवसायिक पाठ्यक्रम आदि में अध्ययनरत् छात्र छात्राओं को ही सम्मिलित किया जायेगा।

(3) आगरा मण्डल में स्थित सभी जनपदों (आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद एवं मैनपुरी) के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा को प्राप्त कर रहे पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को ही अध्ययन में सम्मिलित किया जायेगा।

(4) प्रस्तुत शोध अध्ययन में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा प्रदान कर रहे सरकारी, अर्द्ध सरकारी एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों/संस्थानों में अध्ययनरत् पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को ही अध्ययन में सम्मिलित किया जायेगा।

1.8 शोध अध्ययन के बिन्दु

प्रस्तुत शोध अध्ययन का सम्बन्ध विशेषकर पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा उनके शैक्षिक एवं सामाजिक विकास के लिये प्रदान की जा रही विभिन्न शैक्षिक सुविधाओं की उपयुक्तता, उपलब्धता एवं उपभोग के सन्दर्भ में अभिव्यक्त अभिमतों के बहुपक्षीय विश्लेषणात्मक अध्ययन से है। केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जो शैक्षिक सुविधाएँ पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं को दी जा रही है उन्हें 4 वर्ग में रखा गया है-

1.8.1 शैक्षिक सुविधाएँ- प्रस्तुत शोध अध्ययन में शैक्षिक सुविधाओं के अन्तर्गत विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकीय सहायता, लेखन-सामग्री, शैक्षिक उपकरण, निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था तथा खेलकूद की सामग्री से है।

1.8.2 वित्तीय सुविधाएँ- प्रस्तुत शोध के अन्तर्गत वित्तीय सुविधाएँ विशेषकर छात्रवृत्ति की धनराशि निःशुल्क भोजन, निःशुल्क प्रवेश, निःशुल्क परिधान, निःशुल्क कोचिंग, उच्च शिक्षा ऋण शुल्क तथा अन्य वित्तीय सहायता से है।

1.8.3 सामाजिक सुविधाएँ- प्रस्तुत शोध अध्ययन में सामाजिक सुविधाओं के अन्तर्गत निःशुल्क छात्रावास तथा सामूहिक भोजन व्यवस्था से है।

1.8.4 व्यावसायिक सुविधाएँ- प्रस्तुत शोध अध्ययन में व्यावसायिक सुविधाओं के अन्तर्गत विश्वविद्यालय स्तर पर दस्तकारी एवं व्यावसायिक शिक्षण, उच्च व्यावसायिक के पाठ्यक्रमों में प्रवेश, अध्ययावृत्ति, शोध कार्यों में वरीयता, छात्रवृत्ति, रोजगार व्यवस्था तथा ऋण सुविधा आदि से है। को केन्द्रीयभूत मानकर प्रस्तुत शोध अध्ययन को सम्पादित किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

1.9 न्यादर्श चयन

प्रस्तुत शोध अध्ययन में न्यादर्श का चयन निम्न रूप में किया जायेगा -

1.9.1 जनसंख्या (Population) -

प्रस्तुत शोध में उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा मण्डल में स्थित डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थान, दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय) दयालबाग आगरा, जी. एल. ए. विश्वविद्यालय मथुरा, जे. एस. विश्वविद्यालय (शिकोहाबाद) के (कला, विज्ञान वाणिज्य, अभियान्त्रिकी, कृषि, फार्मेसी, व्यावसायिक आदि) पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् स्नातक स्तर के छात्र-छात्राओं को शामिल किया जायेगा तथा जनसंख्या के रुप में उ0प्र0 के सभी पिछड़ी जाति के उ0प्र0 में अध्ययनरत स्नातक स्तर के छात्र-छात्राओं को शामिल किया जायेगा।

1.9.2 न्यादर्श

सौद्देश्य न्यादर्श प्रस्तुत शोध अध्ययन में बहु स्तरीय मिश्रित न्यादर्श विधि (Multi Level Mixed Sampling Method) का चयन निम्न रूप से किया जायेगा-

आगरा मण्डल एवं इसके विभिन्न जनपदों में स्थित विश्वविद्यालयों/संस्थान/ महाविद्यालयों का चयन न्यादर्श चयन की स्तरीयकृत ”सौद्देश्य प्रतिदर्श विधि“(Purpasive Sampling Method) न्यादर्श विधि (Statified Random Sampling Method), के माध्यम से किया जायेगा। विद्यार्थियों का चयन चयनित इकाइयों का विवरण तालिका संख्या 1.5 में प्रस्तुत किया गया है-

सारणी सं. 5 आगरा मण्डल आगरा में स्थित महाविद्यालय/संस्थानों/विश्वविद्यालयों का चयन

क्र सं	जनपदों के नाम	कुल नगरीय कॉलेज		कुल ग्रामीण कॉलेज		कुल योग
		बालक	बालिकाएँ	बालक	बालिकाएँ	
1	आगरा	3	3	3	3	12
2	फिरोजाबाद	3	3	3	3	12
3	मथुरा	3	3	3	3	12
4	मैनपुरी	3	3	3	3	12
कुलयोग		**12**	**12**	**12**	**12**	**48**

तालिका संख्या 5 में प्रदर्शित आगरा मण्डल में स्थित चारों जनपदों (आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी) के महाविद्यालयों/संस्थान/विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे (कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, अभियांन्त्रिकी, फार्मेसी, व्यावसायिक आदि) के पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् (1600 में से 800 छात्र एवं 800 छात्राओं) विद्यार्थियों का चयन न्यादर्श की आकस्मिक प्रतिदर्श विधि (Insidental Sample Method) के माध्यम से किया जायेगा।

1.9.3 न्यादर्श चयन विधि (Sample Selection Method)

प्रस्तुत शोध अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य विश्वविद्यालय स्तर पर पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं के सन्दर्भ में अभिमतों का अध्ययन करना है।

अतः शोधार्थिनी ने संस्थाओं के चयन के लिये स्तरीयकृत याद्दच्छिकीय-न्यादर्श विधि (Statified Random Sampling Method) सौददेश्य न्यादर्श विधि (Purpasive Sample Method) एवं पिछड़ी जाति के छात्रों के चयन के लिये आकस्मिक न्यादर्श विधि (Insidental Sample Method) का प्रयोग किया जायेगा। छात्रों के चयन को निम्न रुप निर्देषन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

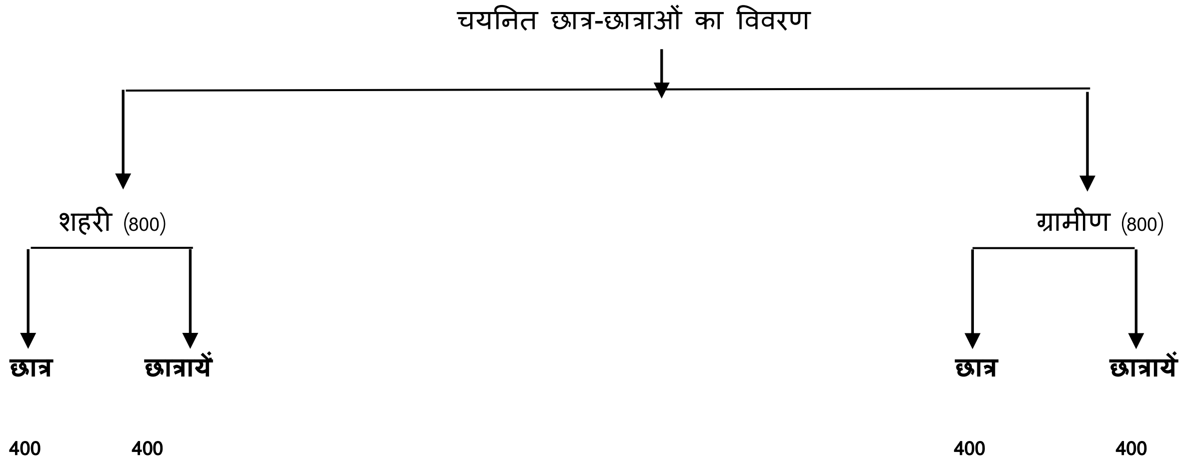

चित्र संख्या-1 चयनित छात्र-छात्राओं का विवरण

1.9.4. उपकरण

प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिये कोई भी मानकीकृत शोध उपकरण उपलब्ध नहीं है इसलिये प्रस्तुत शोध अध्ययन की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये षोध के अध्ययन को ध्यान में रखकर स्वयं उपकरण का निर्माण किया जायेगा। जिसके आधार पर प्ररदत्तों को संकलित किया जायेगा। प्रस्तुत शोध अध्ययन की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर शोधार्थिनी उपकरण निर्माण की प्रक्रिया में पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं का साक्षात्कार करेगी तत्पश्चात् उनके अभिभावकों का साक्षात्कार लेगी। अन्त में योजनाओं से जुड़े प्रशासनिक अधिकारियों को साक्षात्कार में शामिल करेगी उसके पश्चात् पिछड़ी जाति की शोध विशेषज्ञों को आलोचनात्मक अध्ययन के लिये देगी।

1.9.5 शोध अध्ययन की विधि

प्ररस्तुत शोध अध्ययन में **"वर्णानात्मक अनुसंधान विधि" (Descriptive Research Method)** का प्रयोग किया जायेगा। वर्णानात्मक अनुसंधान विधि का प्रयोग किये जाने की निम्न वरीयता प्रयोजन से है-

1. वर्तमान स्थिति पर स्पष्टीकरण नियोजन।

2. शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासनिक वर्ग को अपने निर्णय किये जाने में सबल आधारों का प्रस्तुतीकरण करना।

3. शोध का सम्पादन हेतु शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक उपकरणों का निर्माण करना आदि।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में वर्णात्मक अनुसंधान विधि के अन्तर्गत मात्रात्मक अनुसंधान विधि (Quantitative Research Method) एवं तुलनात्मक शोध विधि (Comparative Research Method) का प्रयोग किया जायेगा।

1.9.6 सांख्यिकी प्रविधियाँ

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधार्थिनी द्वारा संकलित प्रदत्तों का विश्लेषण करने हेतु निम्नलिखित शोध सांख्यिकी प्रविधियों का प्रयोग किया जायेगा-

प्रतिशत (%)

मध्यमान (Mean)

प्रमाणिक विचलन (SD)

काई वर्ग परीक्षण (X^2)

जेड परीक्षण आदि। (z^2)

समस्या का औचित्य एवं महत्व

अन्य पिछड़ी जातियाँ उ0प्र0 राज्य में ही नहीं बल्कि देश के अन्य प्रदेशों के शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में गैर पिछड़ी जातियों के साथ ही बसी हुई है। ये जातियाँ प्रारम्भ से ही अस्पष्टता एवं उपेक्षा के कारण हीन भावना से ग्रसित रही है। पिछड़ी जाति की विभिन्न दशाओं में सुधार करने हेतु भारतीय संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों का प्रावधान किया है और समय-समय पर पिछड़ी जाति के शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक स्तरों में सुधार लाने हेतु भारतीय संविधान में अनेक संशोधन भी किये गये है। लेकिन इन पिछड़ी जाति के विभिन्न स्तरों में उतना सुधार नहीं हो पाया है जितनी की कल्पना की जाती है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन के माध्यम से पिछड़ी जाति के विद्यार्थिओं को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न शैक्षिक सुविधाओं की उपयुक्तता, उपलब्धता एवं उपभोग करने से उनके व्यक्तित्व पर पड़ने वाले प्रभावों को और अधिक सम्बल प्रदान करेगा। जिससे पिछड़ी जाति के विद्यार्थी अपना शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आध्यात्मिक विकास करने में सक्षम हो सकेंगें। साथ ही पिछड़ी जाति के विद्यार्थी इन शैक्षिक सुविधाओं के माध्यम से अपना शैक्षिक विकास करने में सफल हो सकेगें। प्रस्तुत षोध अध्ययन पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को अपने शैक्षिक विकास करने एवं शासन और प्रशासन से जुड़े प्रशासनिक अधिकारी पिछड़ी जाति के लिये योजनायें बनाने एवं उन्हें लागू करने में सहायता प्रदान करने में मददगार हो सकेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- अम्बेड़कर, भीमराव (1951), जाति विच्छेद, प्रथम प्रकाशित, नई दिल्ली कर्नाटक सरकार, अमृत बुक कम्पनी।
- बेस्ट, डी, डब्ल्यू, (1959), रिसर्च इन एजुकेशन, नई दिल्ली, प्रिटिंग हॉल ऑफ इंडिया (प्रा.) लिमिटेड, इंडिया
- सुखिया, एस.पी.एवं मंहरोत्रा, आर.एन.(1970), शैक्षिक अनुसंधान के मूल तत्व, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा। पृ. सं.- 218-241
- स्वामी पंडित तुलसीराम, (1971), मनुस्मृति-गोयल ब्रदर्स, देहली, श्री काशीनाथ ग्रन्थमाला, पं्. सं. 114
- स्वामी पंडित तुलसीराम, (1976), मनुस्मृति-गोयल ब्रदर्स, देहली, श्री काशीनाथ ग्रन्थमाला, पं्. सं. 136
- स्वामी पंडित तुलसीराम, (1978), मनुस्मृति-गोयल ब्रदर्स, देहली, श्री काशीनाथ ग्रन्थमाला, पं्. सं. 148
- गिलफोर्ट, जे.पी. और बेन्जामिन एफ, फन्डामेन्टल स्टेटिक्स इन साइकॉलोजी इन एजुकेशन, फोर्थ इंटरनेशनल स्टूडेन्टस एडीशन, न्यूयॉर्क, एमसी ग्रॉव हिल, कोगा क्रिश लिमिटेड, पृ.सं. 92-104
- भारतीय संविधान, (1984), विधि मंत्रालय, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।
- राय, पी.एस., (1985), अनुसंधान परिचय, लक्ष्मी नारायण प्रकाशन, हॉस्पीटल रोड़, आगरा पृ. सं.-119-148
- नीपा, (1986), मोनिटरिंग ऑफ फाउन्डिग ऑफ पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप सचमैन, नेशनल स्टडी, नेशनल प्रोफाइल, एन.सी.ई.आर.टी. पब्लिकेशन डिविजन।

- सिन्हा, एच0सी0, (1986), शैक्षिक अनुसंधान, नई दिल्ली, विकास प्रकाशन हाउस।
- विवरण पत्रिका, (1988), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विमुक्ति जाति एवं पिछड़ी जाति के पूर्व दशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की विवरण प्रक्रिया, समाज कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण प्रकाशन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- नीपा, (1990), एजुकश्ेानल फॉर ऑल बाई 2000 एन इण्डिया परसेप्टिव, न्यू दिल्ली, एन.एन.सी.ई.आर.टी. पब्लिकेशन डिविजन।
- शर्मा, बी0, (1990), शोध प्रवधि,नेशनल प्रकाशन, नई दिल्ली।
- एकॉफ, आर.एल. (1991), द डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च, शिकागो, शिकागो यूनिवर्सिटी प्रेस।
- विवरण पत्रिका, (1992), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विमुक्ति जाति एवं पिछड़ी जाति के पूर्व दशम एंव दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं की विवरण प्रक्रिया,समाज कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण प्रकाशन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- अग्रवाल, तनुजा, (1994), विशिष्ट समूह की शैक्षिक उपलब्धि के मनोसामाजिक संज्ञानात्मक तथा असंज्ञानात्मक कारक-एक विश्लेषणात्मक अध्ययन,अप्रकाशित पी0एच0डी0 (डीम्ड विश्वविद्यालय) दयालबाग आगरा।
- शाह, सुजाता, (1996), जातीय पृष्ठभूमि में भाषा, लिंग, मत, अन्तर, भारतीय शिक्षा, वर्ष 13, अंक 3, जनवरी, पृष्ठ सं.-31-39।
- ज्ञानानी टी0सी0 एवं गुप्ता मधु, (1996), शैक्षिक पीढ़ी अन्तराल के परिप्रेक्ष्य में पिछड़े वर्ग के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर उनकी समस्याओं का प्रभाव। भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका, वर्ष 15, अंक 2, जुलाई-दिसम्बर, पृष्ठ संख्या-13-21
- भारत की जनगणना रिपोर्ट, (2001), फाइनल पोपूलेशन टोटल्स (2002) का आलेख, नई दिल्ली।
- शर्मा, दीप राज, (2001), ओबीसी, एससी और सामान्य श्रेणी के छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि का एक अध्ययन कुछ सामाजिक-वैचारिक चर के संबंध में, हिमाचल प्रदेश, विश्वविद्यालय।

- खरात, शैलेन्द्र रमेश, (2011), भारत में ओबीसी राजनीति के बाद के युग में,सावित्री बाई फुले पुणे विश्वविद्यालय।
- वार्षिक रिपोर्ट, (2012-13), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- वार्षिक रिपोर्ट, (2012-13), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- कुमार, अखिलेश, राय, (2015), ग्रामीण बिहार की सामाजिक संरचना में ओबीसी का उदय,बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय।
- नित्यकांत, श्रीकांत, (2018), एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण के संदर्भ में व्यक्ति की धारणा,गुलबर्गा विश्वविद्यालय।
- प्रतिभा, लता, मधुकर, (2019), महाराष्ट्र में ओ0बी0सी0 राजनीतिक गठन,टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस।
- भारत, (2020), वार्षिक ग्रन्थ, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

WEBSITES

Sharma, P. (2018) Spiritual intelligence related to academic achievement. Retrieved September 10, 2018, from Shodhganga.inflibnet.ac.in

http://ugcinfonet.jccc.in

www.artmight.com

www.google.com

www.eg.orgwww.sq.org

www.spirituality.com